अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जापता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 47 /2023 दावा/बउनवान/साजिदाबानो/मोहम्मद गुलाम जिलानी

श्रीमती शाजिदा बानो आयु 46 साल पुत्री श्री अजीज वैग पत्नी श्री मिर्जा शकील जाति खेलदार मुसलमान निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादी–

–बनाम–

1. मोहम्मद गुलाम जिलानी पुत्र श्री हाजी अमीन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम कलालपाडा वार्ड नं. 12, इमाम चौक, ग्राम सांगोद,
2. मोहम्मद रब्बानी पुत्र श्री हाजी अमीन खां जाति मुसलमान निवासी कलालपाडा वार्ड नं. 12, इमाम चौक, ग्राम सांगोद जिला कोटा,
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 आर0 टी0 एक्ट,

तारीख फैसला दिनांक .... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मि.नं. /2023

रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... दावा वादीनी स्वीकार कर माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 673 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर उत्तरी–पूर्वी आराजी का वादीनी को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई

———————— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———————— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक निज ———— मुबलिग ———————— बाबत ———————— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख को जारी की गई।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मुदई	रूपया	पैसै	मुददायलह	रूपया	पैसै
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉंगोद जिला कोटा।

बइजलास रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 57 /2023 दावा/बउनवान/साजिदाबानो/मोहम्मद गुलाम जिलानी

श्रीमती शाजिदा बानो आयु 46 साल पुत्री श्री अजीज बैग पत्नी श्री मिर्जा शकील जाति खेलदार मुसलमान निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी—

—बनाम—

1. मोहम्मद गुलाम जिलानी पुत्र श्री हाजी अमीन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम कलालपाडा वार्ड नं. 12, इमाम चौक, ग्राम सांगोद,
2. मोहम्मद रब्बानी पुत्र श्री हाजी अमीन खां जाति मुसलमान निवासी कलालपाडा वार्ड नं. 12, इमाम चौक, ग्राम सांगोद जिला कोटा,
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉंगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::— दिनॉक :— 29.5.24

वादीगण की ओर से इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि पूर्व खातेदारा श्रीमती वहीदन पुत्री श्री रहीम बैग पत्नी श्री हाजी अमीन बैग जाति मुसलमान निवासी ग्राम सांगोद के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 100 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा आराजी वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित थी जिसमें से खातेदारा श्रीमती वहीदन द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 28.03.2004 पंजीयन कमांक 2005001149 दिनांक 18.02.2006 से खसरा नंबर 100 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 6 बिस्वा उत्तरी—पूर्वी आराजी वादीनी को विकय कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया था। वक्त खरीद से कयशुदा आराजी पर वादीनी शान्तिपूर्वक काबिज होकर उपयोग—उपभोग करती चली आ रही है। बाद खरीद वादीनी द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा की प्रतिलिपि पटवारी हल्का को वास्ते इन्तकाल दर्ज करने दे दी थी व पटवारी हल्का द्वारा भी वादीनी को विश्वास दिलाया था कि मुताबिक बैनामा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया है किन्तु जब वादीनी ने प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होने वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने का तथ्य जाहिर किया तो वादीनी ने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा रिकार्ड सर्च करने पर ज्ञात हुआ कि तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा वादीनी के रजिस्टर्ड बैनामें का राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

नहीं किया गया तथा बारद में सेटलमेंट विभाग द्वारा तावारत आराजी के नये खसरा नंबर 673 कायम कर दिये गये तथा विक्रेता वहीदन फौत हो जाने से जरिये फौती इन्तकाल संख्या 192 दिनांक 09.12.2021 से मृतक विक्रेता वहीदन के स्थान पर उसके वारिसान प्रतिवादी कं. 1, 2 का नाम अंकित कर दिया गया जो वादीनी के हितों के विपरीत प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर होकर निष्प्रभावी है। जबकि कानूनन वक्त खरीद से ही वादीनी क्रयशुदा साबिक खसरा नंबर 100 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 6 बिस्वा उत्तरी–पूर्वी आराजी अर्थात् हाल खसरा नंबर 673 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर उत्तरी–पूर्वी आराजी पर वादीनी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर बहैसियत मालिक उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। उक्त संबंध में वादीनी द्वारा गत सप्ताह पटवारी हल्का से मुताबिक बैनामा राजस्व रिकार्ड में से इन्तकाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी ने सेटलमेंट हो जाने व विक्रेता का फौती इन्तकाल खुल जाने के कारण मुताबिक बैनामा राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बैनामा इन्तकाल दर्ज नहीं कर पाने की मजबूरी बताई और माननीय न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करने की राय व्यक्त की। ऐसी परिस्थितियों में वादीनी के लिए घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गत सप्ताह पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक राजिस्टर्ड बैनामा इन्तकाल दर्ज नहीं करने एवं माननीय न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करने की राय व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सांगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसार नंबर 673 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर उत्तरी–पूर्वी आराजी का वादीनी को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में वादीनी के नाम अंकित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 1, 2 की ओर से जवाबदावा इकबाली प्रस्तुत कर दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने को सहमति व्यक्त की। साथ ही उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने को सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी कं. 3 राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रकरण में राज्यहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी का अंकन आदेशिका पर किया है। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रेकार्ड, दस्तावेजात व राजीनामा पक्षकारान के अनुसार दावा वादी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अतः दावा वादीनी स्वीकार कर माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 673 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर उत्तरी—पूर्वी आराजी का वादीनी को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 29.5.24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अधिकारी
सांगोद